कि0 मि0 केश नं0–106/17

अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकिया की वैधानिक समयावधि बीत चुकी है।

अतः वाद की कार्यवाही आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है।

सदस्य

1.

2.

3.